



# AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



**प्रेसनोट थाना छत्ता जनपद आगरा । 09.09.2021**

थाना छत्ता पुलिस टीम द्वारा कम्पनियों के फर्जी रैपर लगा नकली रिफाइंड ऑयल आदि की बिक्री कर रहे 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से नकली रिफाइंड, ऑयल टीन सहित अन्य सामान बरामद..

दिनांक 08.09.2021 को पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि छत्ता बाजार में कुछ दुकानदार कम्पनी के नाम का दुरुपयोग करते हुये नकली तेल मार्केट में बेच रहे हैं।

इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम ने खाद्य एवं औषध विभाग के साथ बताये स्थान छत्ता बाजार में पहुच 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से नकली रिफाइंड व ऑयल के 30 टीन भरे हुये व 99 टीन खाली सहित अन्य नकली व फर्जी रैपर/स्टीकर, ढक्कन बरामद हुये। इस सम्बन्ध में थाना छत्ता पर मु0अ0सं0 123/21 धारा 420/467/468/471 भादवि, 51/63/65 कोपीराइट एक्ट, 103/104 ट्रेड मार्क एक्ट व 26 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पंजीकृत किया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :-

01. मो0 आरिफ पुत्र स्मसुदीन निवासी जीनखाना थाना छत्ता जनपद आगरा।
02. मो0 सददाब पुत्र मो0 मोहनीश निवासी प0 पतरानी गली थाना छत्ता जनपद आगरा।
03. मो0 हसीब पुत्र मो0 सददाब निवासी प0 पतरानी गली थाना छत्ता जनपद आगरा।
04. रिजवान पुत्र हाजी शहीद निवासी छत्ता बाजार थाना छत्ता जनपद आगरा।

## बरामदगी का विवरण :-

01. 25 टीन भरे हुए नकली रिफाइंड फर्जी फॉर्चून स्टीकर लगे हुए।
02. 05 टीन नकली तेल फर्जी सलोनी स्टीकर लगे हुए।
03. 99 टीन खाली।
04. 150 रैपर/स्टीकर फॉर्चून रिफाइंड के।
05. 239 प्लास्टिक के ढक्कन फॉर्चून के।

## आपराधिक इतिहास :-

### ● अभियुक्त सददाब उपरोक्त :-

01. मु0अ0सं0 123/21 धारा 420/467/468/471 भादवि, 51/63/65 कोपीराइट एक्ट, 103/104 ट्रेड मार्क एक्ट व 26 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम थाना छत्ता जनपद आगरा।

02. मु0अ0सं0 49 / 17 धारा 332 / 353 / 323 / 504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना छत्ता जनपद आगरा ।
03. 50 / 17 धारा 147 / 323 / 504 भादवि थाना छत्ता जनपद आगरा ।
04. 110 / 17 धारा 3 यूपी गुण्डा अधि0 थाना छत्ता जनपद आगरा ।
05. 144 / 17 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना छत्ता जनपद आगरा ।

● अभियुक्त रिजवान उपरोक्त :-

01. मु0अ0सं0 123 / 21 धारा 420 / 467 / 468 / 471 भादवि, 51 / 63 / 65 कोपीराइट एक्ट, 103 / 104 ट्रेड मार्क एक्ट व 26 खाद सुरक्षा और मानक अधिनियम थाना छत्ता जनपद आगरा ।
02. मु0अ0सं0 49 / 17 धारा 332 / 353 / 323 / 504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना छत्ता जनपद आगरा ।
03. 50 / 17 धारा 147 / 323 / 504 भादवि थाना छत्ता जनपद आगरा ।
04. 108 / 17 धारा 3 यूपी गुण्डा अधि0 थाना छत्ता जनपद आगरा ।
05. 140 / 17 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना छत्ता जनपद आगरा ।

● अभियुक्त आरिफ व हसीब उपरोक्त :-

01. मु0अ0सं0 123 / 21 धारा 420 / 467 / 468 / 471 भादवि, 51 / 63 / 65 कोपीराइट एक्ट, 103 / 104 ट्रेड मार्क एक्ट व 26 खाद सुरक्षा और मानक अधिनियम थाना छत्ता जनपद आगरा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री शेरसिंह मय टीम थाना छत्ता जनपद आगरा ।
02. श्री अमित कुमार खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन जनपद आगरा ।

मीडिया सेल जनपद आगरा